INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP74058846907049V
Certificate Issued Date	:	31-Mar-2023 11:42 AM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14376304/ KUNDA/ UP-PTG
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1437630442238770702870V
Purchased by	:	CHAIRMAN JAI MAA V D P C GONDAHI KUNDA PBH
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	CHAIRMAN JAI MAA V D P C GONDAHI KUNDA PBH
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	CHAIRMAN JAI MAA V D P C GONDAHI KUNDA PBH
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

NOTARY GOVT. OF U.P.

NOTARIAL NOTARIAL

Please write or type below this line

शपथ – पत्र

हम आशीष कुमार यादव अध्यक्ष एवं श्रीमती सावित्री देवी सचिव जय माँ वैष्णो देवी शिक्षा समिति ट्रस्ट, ग्राम – गोंदाही, पोस्ट – बाबागंज, तहसील – कुण्डा, जिला – प्रतापगढ (उ0प्र0) शपथपूर्वक निम्नवत बयान करते हैं –

1– यह कि हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा जय माँ वैष्णो देवी शिक्षा समिति ट्रस्ट ग्राम– गोंदाही, पोस्ट – बाबागंज, तहसील – कुण्डा, जिला – प्रतापगढ उत्तर प्रदेश नाम डिप्लोमा स्तरीय फार्मेसी शिक्षण संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।

2– यह कि हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा जय माँ वैष्णो देवी शिक्षा समिति ट्रस्ट ग्राम– गोंदाही पोस्ट – बाबागंज तहसील – कुण्डा, जिला – प्रतापगढ पिनकोड 230143 (उ0प्र0) में गाटा संख्या 304, 305 रकबा 0.81 हेक्टेयर कुल रकबा 0.81 हेक्टेयर भूमि है।

3– यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नही चल रहा हैं और भूमि विवाद रहित है।

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.shcilestamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

4– यह कि उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 304, 305 रकबा 0.81 हेक्टेयर कुल रकबा 0.81 हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा स्तरीय फार्मेसी शिक्षण संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी /ट्रस्ट की बैठक दिनॉक 01/09/2019 को पारित किया गया है।

5– यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा स्तरीय फार्मेसी शिक्षण संस्थान के संचालन हेतु भवनो का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6– यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7– यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनो पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया , नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा ।

8–यह कि इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंण्डिया नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रमों एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा ।

9– यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया , नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10– यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी कौंसिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा ।

11– यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा ।

12– यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभाँति पालन करूँगा । यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण मे मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती हैं तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नही की जायेगी ।

13– मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य हैं । यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख /दस्तावेज फर्जी कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी । ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा ।

Mr/Mrs ... Identified by Advocate
Mr......
Kunda ...
Verified
...tha ... correct

सावित्री देवी
ह0 सचिव

Attested
S.C. Mishra
Notary Advocate
Kunda-Pratapgarh
Notary Advocate
Kunda Pratapgarh

ह0 अध्यक्ष
आशीष कुमार